IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में चुनाव सुधार की वास्तविकता

(पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के संदर्भ में)

डॉ. अर्चना गुप्ता
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर
जिला – बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)
पिन – 497119

सारांश – भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और चुनाव भारतीय लोकतंत्र का महाकुंभ है। दुनियां की सर्वाधिक सहभागिता वाला लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के आम चुनावों पर पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव 2021 में हुई चुनावी व राजनीतिक हिंसा ने विश्व पटल पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल किया है। चुनाव के दौरान हुई राजनीतिक हत्यायें, चुनाव में धन–बल एवं बाहुबल का प्रयोग व चुनावों की निष्पक्षता पर उठते सवाल निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। जिसे मिटाने में चुनाव आयोग की असफलता साफ तौर पर नजर आती है।

जाति–भाषा–क्षेत्र–वर्ग इन सभी कारकों ने न केवल पश्चिम बंगाल के चुनावों को प्रभावित किया, बल्कि वहां नई सरकार के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, कि अगर चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक आधार है तो चुनावों के दौरान ही लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है?

कुंजी शब्द – भ्रष्टाचार, निर्वाचन, इलेक्ट्रॉनिक, विधि आयोग

चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण होती है। भारत की स्वतंत्रता से 25 वर्ष पूर्व सन् 1922 में श्री सी. राजगोपालाचारी ने आज की स्थिति का पूर्वानुमान लगाते हुए कहा था ''चुनाव और उसका भ्रष्टाचार, अन्याय, धनबल की ताकत एवं तानाशाही और प्रशासन की अक्षमता, जीवन को नर्क बना देगी।''[1] इस बात से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में केवल चुनाव होना ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु चुनावों की निष्पक्षता भी महत्वपूर्ण है। निर्वाचन तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्मात्री सभ में हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था – ''अगर निर्वाचन तंत्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है या गैर–ईमानदार लोगों द्वारा संचालित है तो लोकतंत्र अपने उद्भव काल में ही डगमगा जायेगा।''[2]

भारतीय संविधान के अध्याय 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन तंत्र से संबंधित सम्पूर्ण निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निवाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना है। यह स्वतंत्र, दोषमुक्त तथा पारदर्शी चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर, मानदण्डों का पालन करता है ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में जनता का विश्वास मजबूत हो। आयोग ने इसके लिए निदेशक सिद्धांत बनाए हैं जो सही प्रशासन के लिए जरूरी हं[3] :–

1. संविधान में दिये समानता, समता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना। निर्वाचित सरकार क निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना।
2. महत्तम विश्वसनीयता, स्वंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता, सच्चरित्रता, जवाबदेही, स्वायत्तता तथा पेशेवर दृष्टिकोण के साथ संपन्न करवाना।
3. समावेशी मतदाता केंद्रित तथा मतदाता–स्नेही वातावरण चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा (stakeholders) की भागीदारी करवाना।
5. निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेकहोल्डरों, जैसे–मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवार एवं सामान्य जनता में विश्वास और भरोसा बढ़ाना तथा मजबूत करना।
6. चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी तथा पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना।
7. चुनावी प्रक्रिया के आसान निर्वाहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना।
8. चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीकी अपनाना।
9. आदर्श तथा लक्ष्य की श्रेष्ठता की पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करना।
10. देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना।

भारत में चुनाव सुधार हेतु गठित समितियां एवं उनके सुझाव :– भारत में चुनावी व्यवस्था में सुधार हेतु सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों स्तरों पर व्यापक प्रयास किए गए हैं। विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली एवं चुनाव मशीनरी के साथ–साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की है और सुधार के सुझाव दिए हैं। यहां चुनाव सुधार हेत, प्रमुख समितियों एवं आयोगों का उल्लख किया गया है यथा[4] –

तारकुण्डे समिति (1974–75) :–

1974 में चुनाव सुधार पर विचार एवं अध्ययन हेतु 'सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी' नामक संगठन की ओर से जयप्रकाश नारायण ने एक पूर्व जज वी.एम. तारकुण्डे की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने राज्यों में निर्वाचन आयोग की स्थापना किए जाने, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने, मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य किए जाने तथा आचार संहिता का कठोरता से पालन किये जाने संबंधि अति महत्वपूण सुझाव दिए लेकिन जनता सरकार के असामयिक पतन के कारण इन सुझावों पर कोई अमल नहीं हुआ।

श्यामलाल शकधर के सुझाव (1981) :–

देश के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर ने 9 जुलाई 1981 को चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन हेतु मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र दिए जाने तथा चुनावों का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने संबंधि महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

चुनाव आयोग के सुझाव (1985) :–

चुनाव खर्च में कमी लाने एवं चुनाव प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' का प्रयोग करने, चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने तथा एक प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधि महत्वपूर्ण सिफारिशें चुनाव आयोग के द्वारा की गई।

टी. एन. शेषन के प्रयास (1990) :–

देश के प्रसिद्ध एवं विवादित चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने चुनाव सुधार की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जिनमें फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करना, चुनावों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाना तथा चुनावों में खर्च किये जाने वाले धन की सीमा निर्धारित किए जाने संबंधि प्रयास शामिल हैं।

दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें (1990) :–

भारतीय चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त दोषों को दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा विधिमंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वी. पी. सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक सरकारी समिति बनाई गई। इस समिति ने 1 मई 1990 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में चुनाव सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनमें मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने एवं हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए जाने तथा ऐसी स्थिति में पुर्नमतदान की व्यवस्था किए जाने, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाने, चुनाव याचिकाओं पर अतिशोघ्र निर्णय किये जाने, आदि सम्मिलित थे।

वोहरा समिति (1993) के सुझाव :–

वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी नोडल एजेंसी गठित करने की सिफारिश की थी। जिसे मौजूदा सभी गुप्तचर और प्रवर्तन एजेंसियां देश में संगठित अपराध के बारे में मिलने वाली सारी जानकारियां तत्परता से उपलब्ध करायेंगी।

इन्द्रजीत गुप्ता समिति (1998) :–

चुनावी व्यय को सीमित रखने तथा युक्ति युक्त बनाने के प्रयोजन से इन्द्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। समिति ने सरकारी खर्च पर चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि कम धन वाले दलों के लिए बराबरी का मौका वाले हालात स्थापित करने के लिए यह पूरा न्यायोचित संवैधानिक और विधि सम्मत के साथ–साथ जनहित में भी है।

चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट[5] :–

चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट भारत में राजनीतिक प्रणाली के कामकाज पर अब तक के सबसे व्यापक दस्तावेजों में से है। विधि आयोग की रिपोर्ट के पैरा 3.1.1 में कहा गया है ''हमारी राजनीतिक प्रणाली के कामकाज और चुनावों के संचालन में अनुशासन की भावना लाने और इसे व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रोय और राज्य दोनों स्तरों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के गठन, कामकाज, आय–व्यय एवं आंतरिक कामकाज के लिए कानून बनाना जरूरी है।''

के. संथानम समिति के प्रमुख सुझाव :–

भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए गठित के. संथानम समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :–

1. निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए।
2. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन समय के साथ होना चाहिए।
3. निर्वाचन से संबद्ध विभिन्न अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के अंतर्गत लाया जाये।
4. राजनीतिक दलों के कार्य संचालन को वर्तमान दोषों और अफसरशाही से मुक्त किया जाना चाहिए।

जे. एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट (2013) :–

अपराधिक कानून में संभावित संशोधनों के बारे में सुझाव देने के लिए भारत के पूर्व प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 23 जनवरी 2013 को सौंपी। जिसमें न्यायालय के संज्ञान लेते ही आरोपी प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने तथा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के हलफनामें की कैग से जांच कराने का सुझाव दिया।

चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट[6] :–

विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट 12 मार्च 2015 को केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को प्रस्तुत की। विधि आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां कॉलेजियम के जरिए कराने तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के सुझाव शामिल हैं।

उपरोक्त समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गये हैं। कुछ प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं[7] :–

वोट देने की आयु घटाना :–1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिये लोकसभा के साथ–साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग :– 1989 में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। प्रयोग के तौर पर पहली बार (EVM) का इस्तेमाल 1998 में राजस्थान, मध्यप्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ।

बूथ कब्जा :– 1989 में बूथ कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करने या रद्द करने का प्रावधान किया गया। बूथ कब्जे में मतदान केन्द्र पर कब्जा कर लेना और अधिकारियों से मतपत्र या वोटिंग मशीन सरेंडर करा लेना, मतदान केन्द्र को अपने कब्जे में ले लेना और सिर्फ अपने समर्थकों को वोट डालने की इजाजत देना, किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र पर जाने को लेकर धमकाना और राकना तथा मतगणना केन्द्र पर कब्जा कर लेना आदि शामिल हैं।

मतदाता फोटो पहचान पत्र :– चुनाव में फर्जी मतदाता और किसी के बदले मत डालने की प्रथा को रोकने के लिए देश भर में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए वर्ष 1993 में चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लिया गया।

उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना :– उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को तीन वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग हैं :– 1. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 2. पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 3. अन्य (निर्दलीय उम्मीदवार)।

राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून :– राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय झण्डे का अनादर करने, भारत के संविधान का अनादर करने और राष्ट्रगान गाने से रोकने जैसे अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति 06 साल तक लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होगा।

शराब बिक्री पर प्रतिबंध :– मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घण्टे पहले तक मतदान केन्द्र के इलाके में किसी दुकान, होटल या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल में किसी तरह के शराब या नशीले पेय नहीं बेचा या बांटा जा सकता। इस कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 06 माह के कैद या 2000 रू. के जुर्माने या दोनो सजा का भागी होगा।

दो से अधिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध :– एक साथ हो रहे आम चुनाव या उपचुनाव में कोई उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा की दो से अधिक सीटों से चुनाव नही लड़ सकता।

हथियार पर रोक :– किसी मतदान केन्द्र के आस–पास किसी तरह के हथियार के साथ जाना संज्ञेय अपराध है। ऐसा करने पर दो साल की सजा या जुर्माना या दोनो दण्ड दिया जा सकता है।

चुनाव प्रचार की अवधि में कमी :– नामांकन वापस लेने की आखरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच का न्यूनतम अंतराल 20 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है।

नोटा विकल्प शुरू करना :– उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' के लिए मतदाता पत्रों/इवीएम मशीनों में प्रावधान किया ताकि मतदान केन्द्र तक आने वाले मतदाता चुनाव में खड़े हुए किसी भी उम्मीदवारों में से किसी को चुनने का फैसला न करने वाले अपने मतदान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को मत नहीं डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।

मतदाता निरोक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल की शुरूआत :– वीवीपीएटी इवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताआं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होने मत डाला था।

इवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो :– चुनाव आयोग के एक आदेशानुसार 1 मई 2015 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में इवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फोटो, नाम तथा पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ प्रकाशित रहेंगे ताकि इस बारे में मतदाओं के भ्रम का निवारण हो सके।

इस प्रकार समय–समय पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर चुनाव सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किये गये हैं। लोकसभा व विधानसभा चुनाव के समय वास्तविक धरातल पर यदि हम इन सुधारों को देखना चाहे तो यह केवल कागजी कार्यवाही ही प्रतीत होते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है।

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का रक्तरंजित इतिहास रहा है। 1977 से 2007 तक पश्चिम बंगाल में लगभग 28 हजार राजनीतिक हत्याएं हुई है।[8] 2021 का विधानसभा चुनाव भी राजनीतिक व चुनावी हिंसा से अछुता नहीं रहा है। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता जब राजनीतिक हिंसा की कोई खबर ना सुनाई देती हो। चुनावों के दौरान हिंसक घटनाएं एक आम बात हो गई है। चुनावों के दौरान हिंसा का मकसद आम तौर पर मतदान व्यवहार को प्रभावित करना होता है। जो एक स्वस्थ्य लोकतंत्र के निर्माण के लिए सही नहीं है।

पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव 8 चरणों में सम्पन्न हुआ। चुनाव के दौरान तथा चुनाव नतीजे आने के बाद ऐसी विभिन्न घटनाएं घटी जिसने जनमानस को आहत किया और लोकतंत्र को शर्मिंदा। इन घटनाओं में नंदीग्राम विधान सभा क्षेत्र में दूसरे चरण के मतदान के दौरान धांधली का प्रयास, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं, सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, भाजपा के बूथ आइटी इंचार्ज पर हमला, केशपुर में भाजपा पोलिंग एजेंट पर हमला, चुनावों के दौरान इवीएम में गड़बड़ी को लेकर दर्जनों शिकायतें दर्ज होने की घटना, टीएमसी और भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्यायें, मतदान केन्द्र के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे मतदाताओं पर हमला, रूपये बांट कर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप, मतदान केन्द्रों पर झड़प व हिंसा की घटनां, 24 परगना में छठे चरण के मतदान के दौरान टीटागढ़ विधान सभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कच्चे बम फेंकने की घटना जिससे एक बच्चे सहित छः लोग घायल हो गए, पत्रकारों व मिडियाकर्मियों पर हमला व उनके साथ दुर्व्यवहार, मतदन केन्द्रों पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की घटना, चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ और विवादित बयान देना आदि। ये सभी घटनाएं न केवल तंत्र की विफलता को सिद्ध करती है बल्कि जन के मन में भी भय का वातावरण उत्पन्न करती है।

मुखर लोकतंत्र के प्राथमिक और जरूरी सूचक नियमित अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। मतदाताओं की सहभागिता का स्तर लोकतंत्र की सेहत का सबसे महत्वपूण सूचक है।[9] किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की वैधानिकता उसके नागरिकों के मतदान में सहभागिता से तय की जाती है। मतदान में नागरिकों की सहभागिता को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उन्हें चुनावों के दौरान भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाये। भारत का नागरिक लोकतंत्र को मजबूत करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव में हिस्सा लेता है, लेकिन इन्ही चुनावों के दौरान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाती हैं और लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाता है।

दुर्भाग्यवश, आज चुनाव ही देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। चुनावों के दौरान हिंसा, मतदान स्थलों पर कब्जा, फर्जी मतदान करने की प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन तथा बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियां देश क सम्मुख प्रमुख चुनौतियां हैं, जिसका सामाधान अगर समय पर नही किया गया तो लोकतंत्र खोखला हो जायेगा। इसलिए लोगों की इच्छानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव सुधारों को वास्तविक धरातल पर उतारना अनिवार्य है। हमें एकजूट होकर पूरी दुनियां के 'सबसे बड़े लोकतंत्र' को दुनियां का 'सबसे अच्छा लोकतंत्र' बनाने के लिए संघर्ष करना है।

संदर्भ :–

1. अनिल वर्मा, लेख – ''भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार की आवश्यकता'' योजना, अंक 7, जुलाई 2014, पृ. – 09।
2. हरपाल सिंह, शोधपत्र – ''भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार'', श्रृंखला एक शोध प्रेरक वैचारिक पत्रिका, vol – 6। Issue – 6, February – 219, पृ. – 239।
3. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, एमसी ग्रा हील एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडू, छठवां संस्करण, 2020, पृ. – 42.3।
4. पुखराज जैन, बी. एल. फड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010, पृ. – 618।
5. विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, पैरा 3.1.1 Law commissionofindia.nic.in
6. विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट, पृ. – 129 Law commissionofindia.nic.in
7. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, एमसी ग्रा हील एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडू, छठवां संस्करण, 2020, पृ. – 73.1।
8. https://www.newsnationtv.com, news Nation Bureau, 10 मार्च 2021।
9. मनोज अग्रवाल, चुनाव सुधार सुशासन की ओर एक कदम, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2015, पृ. – 58।